

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-३) विभाग

क्रमांक : प-२(३)कार्मिक/क-३/९६

जयपुर, दिनांक : १४ दिसंबर, २०००

राजस्थान प्रभावी शासन सचिव / शासन सचिव / विधिव्यवस्था शासन सचिव,
राजस्थान अधिकारीय आयुक्त,
राजस्थान विधानाधिकार (जिला कलेक्टरों सहित)

परिपत्र

विषय :— अधिकारी निरोधक व्यूरो (Anti Corruption Bureau) द्वारा रिश्वत
लेते रंगे हाथों विरपत्तार किये जाये जन सेवकों के विलक्षण के
सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस विभाग के समसंघर्षक परिपत्र दिनांक ३१.१२.९६ की ओर
आकर्षित कर लेख है कि उक्त परिपत्र के पैरा १(i) द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि यदि कोई जनसेवक राजस्थान
राज्य अन्वेषण व्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विरपत्तार किया जावे तो उसे राजस्थान सिविल सेवाये
(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, १९५८ के नियम १३(१) (बी) के अन्तर्गत तुरन्त निलम्बित किया जाए । यदि
किसी मामले में विशेष परिस्थितिवश निलम्बन आवश्यक नहीं समझा जावे तो उस जनसेवक का स्थानान्तरण तुरन्त
ऐसे पद पर तो कर ही दिया जाए, जहां जन सम्पर्क कम हो, साथ ही वह जनसेवक अनुसंधान में बाधा नहीं पहुँचा
सके और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सके ।

इस विषय पर पुनर्विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई जन-
सेवक अधिकारी निरोधक व्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विरपत्तार किया जावे तो उसे राजस्थान सिविल सेवाये
(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, १९५८ के नियम १३(१) (बी) के अन्तर्गत आवश्यक रूप से बिना किसी
अपवाद के तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जावे । अतः भविष्य में इस प्रकार के समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित जन
सेवक को तुरन्त निलम्बित करना अनिवार्य होगा ।


कृपया उक्त निर्देश सभी सम्बन्धित के ध्यान में लावें तथा तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें ।


(अधीक्षक सम्पत्तराज)

सचिव, कार्मिक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को भी प्रेषित है ।

- १ मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- २ सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- ३ महानिदेशक, अधिकारी निरोधक व्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।
- ४ निजी सचिव, कार्मिक मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- ५ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- ६ रक्षित पत्रावली ।


शासन उप सचिव